

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
जन स्वास्थ्य विभाग
पुराना हिन्दू कॉलेज
कश्मीरी गेट दिल्ली -110006

DHO/CSPZ/2021/D- 832

DATE: 05/04/2022

सिटी सदर पहाड़ गंज क्षेत्र में ई-कार्ट लगाने के संदर्भ में पुनः आवेदन आमंत्रण।

(पुनः आवेदन जमा करने के लिए तिथि 16/04/2022 तक बढ़ाने की सूचना)


सिटी सदर पहाड़ गंज क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की नई ई-कार्ट नीति के तहत सिटी सदर पहाड़ गंज क्षेत्र के अंतर्गत कुल बची हुई 35 ई-कार्ट लगाने हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

Ward	Ward Name	Remaining Slots
79	SHASTRI NAGAR	2
80	SADAR BAZAR	1
81	KISHAN GANJ	5
82	ANAND PARVAT	2
83	CIVIL LINES	2
84	CHANDNI CHOWK	1
85	JAMA MASJID	5
86	AJMERI GATE	2
87	BAZAR SITA RAM	4
88	DELHI GATE	3
89	QURESH NAGAR	2
90	BALLIMARAN	1
91	RAM NAGAR	5
Total		35

जिसकी अंतिम तिथि सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार के द्वारा 16/04/2022 तय की गई है। ई-कार्ट पॉलिसी के अंतर्गत ई-कार्ट गाड़ी का आकार और आयाम 2.8 मीटर लंबाई, 1.8 मीटर ऊंचाई और चौड़ाई 1 मीटर से अधिक न हो। इसे चारों ओर से कवर किया गया हो। इस चलती फिरती ई-कार्ट पर पहले से पके हुये/ पैक किए हुये भोजन को बेचने की अनुमति होगी। अतः क्षेत्रवासियों से निवेदन है की अपने आवेदन कमरा नं. 202, 2nd फ्लोर पुरानी बिल्डिंग, पुराना हिन्दू कॉलेज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-06 के DHO/CSPZ कार्यालय में 06/04/2022 से 16/04/2022 साँय 5 PM तक जमा कर सकते हैं। ई-कार्ट का डिज़ाइन नीचे दिये गए चित्रों के अनुसार होना चाहिए। आवेदन पत्र DHO ऑफिस अथवा www.mcdonline.gov.in से download किए जा सकते हैं।



दिनांक 06/04/2022


आदेशानुसार
उपस्वास्थ्य अधिकारी
सिटी सदर पहाड़ गंज क्षेत्र

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF DHO/_____ Zone

**APPLICATION FORM FOR OBTAINING
HEALTH TRADE LICENCE FOR MOBILE
E-CART**

Photograph of
applicant

1	Name and No. of Ward for which applied	
2	Name of the applicant	
3	Father's name	
4	Permanent Address (copy of document to be attached)	
5	Residential Address (copy of document to be attached)	
6	Date of Birth (copy of document to determine age of the applicant to be minimum 18 year)	
7	Contact No.	
8	E-Cart Registration No.(if any)	
9	E-Cart Driving Licence No. (copy of Licence to be enclosed)	
10	Immunised against Typhoid (copy of certificate to be attached)	
11	Address of Parking site during non-operational hours.	
I, _____ S-D-W/o _____ am well conversant with the Terms and Conditions for obtaining Health Trade Licence for E-Cart and all the Information/ documents submitted are genuine and correct.		

Signature of applicant

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय उप. स्वा. अधि. / क्षेत्र

आवेदक की
फोटो

मोबाईल ई-कार्ट के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र।

1. वार्ड का नाम एवं न०.
(जिस वार्ड में आवेदन किया) : _____
2. आवेदक का नाम : _____
3. पिता/पति का नाम : _____
4. स्थायी पता (दस्तावेज संलग्न करें) : _____

5. निवास स्थान का पता (दस्तावेज संलग्न करें) : _____
6. जन्म तिथि
(आवेदन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु
18 वर्ष निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों की प्रति)
7. सम्पर्क न०/मोबाईल न०. : _____
8. ई-कार्ट पंजीकरण संख्या. (यदि कोई है) : _____
9. ई-कार्ट ड्राइविंग लाईसेंस संख्या
(लाईसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करें) : _____
10. आन्त्र ज्वर/टाईफाइड टीकाकरण
(प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें) : _____
11. पार्किंग का पता (गैर परिचालन घंटों के दौरान): _____

मैं _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पति श्री/श्रीमती _____ ई कार्ट लिए स्वास्थ्य व्यापार लाईसेंस प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तों से अच्छी तरह परिचित/भिन्न हूँ और यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त जमा किये गये सभी दस्तावेज एवं दी गई जानकारियाँ वास्तविक एवं सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर _____

मोबाइल ई-कार्ट के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस आवेदन हेतु नियम व शर्तें :-

1. ई-कार्ट का संचालन: पैक किए गए भोजन/ पहले से पके हुए खाद्य पदार्थों और पैक किए गए पेय पदार्थों की बिक्री के लिए प्रतिबंधित। (केवल पैक कोल्ड ड्रिंक, चाय/कॉफी/लस्सी/शिकंजी आदि)
 2. परिचालन क्षेत्र- आयासीय, मिश्रित भूमि उपयोग सड़कों में मोबाइल ई-कार्ट का संचालन के प्रतिबंधित है।
 3. संचालन के घण्टे- मोबाइल ई-कार्ट का संचालन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक या सनय-समय पर ज़ारी जीएनसीटीडी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
 4. ई-कार्ट का आयाम:- ई कार्ट की लंबाई 2.8 मीटर, ऊंचाई 1.8 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसे चारों ओर से ढका जाएगा ताकि खाद्य पदार्थों/पहले से पके हुए भोजन को धूल और मक्खियों से बचाया जा सके। समग्र डिजाइन ऐसा होगा जो आंखों को आकर्षक और वार्ड/जोन के सौंदर्यीकरण में सहायक होगा।
 5. पंजीकरण शुल्क, लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क निगम के निर्णय द्वारा शासित होंगे जो वर्तमान में रुपये 10,000/- (पंजीकरण शुल्क) ₹0. 25,000/- प्रतिवर्ष (लाइसेंस शुल्क) और ₹0. 1,000/- (प्रसंस्करण शुल्क)।
 6. आवेदन जमा करने की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और ई-कार्ट के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
 7. परिवहन प्रधिकरण से ई-कार्ट पंजीकरण आवेदन पर आवश्यक होगा, यह पहले से पंजीकृत नहीं है।
 8. मोबाइल ई-कार्ट में पैक किए गए भोजन/पहले से पके हुए खाद्य पदार्थों की बिक्री से दुर्गंध, कूड़े या शोर से परेशानी नहीं होनी चाहिए।
 9. लाइसेंसधारी और सहायक कर्मचारी अनिवार्य रूप से से सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा मानकों (FSSI) के तहत प्रशिक्षण से गुजरेंगे।
 10. कार्ट में कोई कोई खाना पकाने या खाने की सामग्री तैयार नहीं की जाएगी। पहले से पके हुए खाद्य पदार्थों को इनविल्ट हीटिंग सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक ओवन) से गर्म किया जा सकता है।
 11. पैकड/पहले से पके खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए मोबाइल ई-कार्ट का हिस्सा पूरी तरह से फ्लाई-प्रूफ होगा।
 12. कचरा और कागज के कचरे सहित अपशिष्ट सामग्री के संग्रह की उचित व्यवस्था की जाएगी।
 13. मोबाइल ई-कार्ट से जुड़े खाद्य संचालकों को टाइफॉयड/आन्त्र ज्वर प्रतिरक्षण के माध्यम से टाइफॉयड/आन्त्र ज्वर से बचाव किया जाएगा।
 14. खाद्य संचालक साफ-सुथरे कपड़े पहनेंगे और उनकी समय-समय पर चिकित्सकीय (वार्षिक) जांच की जाएगी ताकि संक्रामक और संक्रामक रोग की उपस्थिति को बाहर रखा जा सके।
 15. यह कि मैं/खाद्य संचालक लाइसेंस की किसी भी शर्त का पालन न करने या इस संबंध में बनाए गए किसी भी उप-नियमों, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए लाइसेंस को रद्द करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
 16. प्रदर्शित सभी खाद्य सामग्री/पहले से पका हुआ भोजन कांच के मामलों में रखा जाएगा और साफ सफाई के बर्तनों को धूल और मक्खियों से सुरक्षित रखा जाएगा।
 17. मोबाइल ई-कार्ट लाइसेंस आवेदक वाणिज्यिक स्थल से स्थानांतरित होने पर रात के दौरान (गैर-परिचालन) पार्किंग स्थल निर्दिष्ट करेगा।
 18. यातायात और अराजकता में बाधा से बचने के लिए, संबंधित डी.एच.ओ. द्वारा स्थानीय यातायात इकाई से एन. ओ.सी. प्राप्त की जाएगी।
- ❖ इनमें से किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर मोबाइल कैटरिंग वैन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और यहां तक कि लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

Terms & Conditions

(Application of Health Trade Licence for mobile E-Cart for sale of packed food/ pre-cooked food items.)

- i. **Operation of E-Cart:** restricted for the sale of packed food/pre-cooked food items and packed beverages (packed cold drinks only, no preparation of tea/coffee/lassi/ shikanji etc.)
- ii. **Operational areas-** Operation of mobile E-cart is restricted/ prohibited in the residential, mix land use roads.
- iii. **Operational Hours-**Operation of mobile E-cart will be from 8 am to 10 pm or as per GNCTD guidelines issued time to time.
- iv. **Dimensions of E-Cart:-** The E-Cart will not exceed 2.8 meters in length, 1.8 meters in height and 1 meter in width. It will be covered from all the side so as to protect the exposure of the articles of food items/pre-cooked food from dust and flies. The overall design will be such as to appealing to eyes and helpful towards beautification of the Ward/Zone.
- v. **Registration Fee, Licence Fee and other charges** will be governed by the decision of the Corporation which at present is Rs. 10,000/- (Registration Fee), Rs. 25,000/- per annum (Licence Fee) and Rs. 1,000/- (Processing Fee).
- vi. Applicant should have attained the minimum age of 18 years and valid Driving Licence for E-Cart on the date of submission of application.
- vii. E-Cart registration from Transport Authority will be required on acceptance of application, if not already registered.
- viii. Sale of packed food/pre-cooked food items from mobile E-cart should not cause nuisance from odors, litter or noise.
- ix. Licensee and support staff will mandatorily undergo training under Food Safety Standards of India (FSSI).
- x. No cooking or preparation of eatables will be carried out in the E-cart. Precooked food items can be heated with the inbuilt heating system (Electric oven).
- xi. The portion of the Mobile E-cart for sale of packed/pre-cooked food items will be completely fly-proof.
- xii. Proper arrangements for collection of waste material including refuse and the paper waste will be made.
- xiii. Food handlers attached to the Mobile E-cart will be protected against Typhoid through Typhoid immunization.
- xiv. Food handlers will wear clean and tidy clothing and they will be periodically examined medically (annually), so as to exclude presence of infectious and contagious disease.
- xv. The license will be liable to be revoked at any time for non-compliance of any of the conditions of license or infringement of any bye-laws, rules and regulations made in this behalf.
- xvi. All articles of food items/pre-cooked food displayed shall be kept in glass cases and clean sanitary vessels protected from dust and flies.
- xvii. Mobile E-cart license applicant will specify parking site during night (Non-Operational) if moved from the commercial site.
- xviii. In order to avoid hindrance to the traffic and chaos, NOC from Local Traffic Unit will be obtained by the concerned DHO.

***Failure to comply with any of these instructions shall entail legal action against the Mobile catering van owner/s and even result in revocation of license.**
